


<p>6/11/99</p>	<p>वकील उमरपुत्र उपा / प.व.दा. उ.ग. राजका में नगर होने से पत्रागामी प्रकीर्ण दिनांक 21/11/020 को पेश है।</p>
<p>21/11/020</p>	<p>वकील उमरपुत्र उपा / रेसपो नं. 11 की ओर से श्री धनदयाल मारा एडव का वेकालतनामा पेश हुआ जो शा. पत्रिका विमा गया। पत्रागामी वाले शेष रेसपो की तमदी हेतु दिनांक 18/2/020 को पेश है।</p>
<p>18/2/020</p>	<p>पत्रागामी पेश हुई। अपीलांत केसबाई प्र/0 पत्रागामी की ओर से श्री राजपुंगार वर्मा एडव का वेकालतनामा पेश हुआ, जिसे पूर्ण वकील द्वारा नो ऑब्जेक्शन विमा हुआ है तथा अपीलांत द्वारा जय अमिनाथ एडव प्राथना पत्र वाले उभय अपील प्राथना को विज्ञे विजे जाके बावत पेश विमा जो शेष पत्रिका विमा जाये।</p> <p>प्राथमिक अपीलांत इस प्रकार को उक्त आगे नही चलाया चाली है तथा उक्त अपील के प्रद्वारा के मध्य मजिस्ट्रेट हो जाके से विज्ञे करना चाली है। अतः प्राथमिक का प्राथमिक स्वीकार विमा जाकर अपील एज सिद्धे स्वादि की जाती है। पत्रागामी केसबाई उपा द्वारा नगर से वस की जाये। बाड लामिका तकमिका दाखिल इतर है।</p> <p style="text-align: right;">  विमा कमेक्टर गेय </p>

पत्रिका
रामकुमार
पत्रिका